भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2882

(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

साइबर बुलिंग के लिए कानून

2882. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइबर बुलिंग, ऑनलाइन पीछा करना, छद्मवेश धारण करना, डॉक्सिंग और ट्रोलिंग को परिभाषित करने और उनका समाधान करने के लिए एक समर्पित कानून बनाने या विशिष्ट नियम जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्ज किए गए और निपटाए गए साइबर बुलिंग के मामलों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के बीच साइबर बुलिंग को रोकने, रिपोर्ट करने और उसका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं; और

(घ) बच्चों, महिलाओं और अन्य संवेदनशील उपयोगकर्ताओं के बीच साइबर बुलिंग को रोकने के लिए आयोजित जागरूकता, प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इसमें शामिल किए गए लाभान्वितों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार की नीतियों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों सहित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक ओपन, सुरक्षित, विश्वसनीय एवं जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी सामग्री या सूचना, विशेष रूप से अभद्र एवं अश्लील सामग्री, से मुक्त हो।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम) संयुक्त रूप

से डिजिटल क्षेत्र में गैर-कानूनी एवं हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों पर स्पष्ट दायित्व अधिरोपित करते हैं।

आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर समुचित सावधानी, संबंधी दायित्व अधिरोपित करता है, ताकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तिसंगत प्रयास करें कि उनके कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता ऐसी किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, पारेषित, स्टोर, अपडेट अथवा साझा न करें, जो अश्लील, पोर्नोग्राफिक, बाल यौन शोषण संबंधी (पेडोफिलिक), बच्चों के लिए हानिकारक, निजता का हनन करने वाली, लिंग के आधार पर अपमानजनक अथवा उत्पीड़नकारी हो या वर्तमान में लागू किसी कानून का उल्लंघन करती हो। यदि मध्यस्थ आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत निर्धारित विधिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में प्राप्त छूट खो देते हैं। वे वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत परिणामी कार्रवाई अथवा अभियोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

10 फरवरी, 2026 को सरकार ने कृत्रिम रूप से सृजित सूचना (एसजीआई), जिसमें डीपफेक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जनित सामग्री शामिल है, से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों का समाधान करने के लिए आईटी नियमों में संशोधन कर विनियामक ढांचे को और सुदृढ़ किया।

संशोधनों के अनुसार, मध्यस्थों तथा बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए यह आवश्यक है कि वे गैर-कानूनी एआई-जनित सामग्री, जिसमें अश्लील, भ्रामक, व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने वाली अथवा बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री शामिल है, के सृजन एवं प्रसार को रोकने के लिए युक्तिसंगत तकनीकी उपाय लागू करें। प्लेटफॉर्मों के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि वे ऐसे कानूनों यथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम), के तहत संबंधित अपराधों की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को दें जिनमें रिपोर्टिंग करना कानूनी रूप से आवश्यक है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के अंतर्गत आम जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। एनसीआरपी में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध कुछ श्रेणियों के साइबर अपराधों की गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने का प्रावधान है। "महिला/बाल संबंधित अपराध की रिपोर्ट करें" मॉड्यूल के अंतर्गत शिकायतकर्ता "गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें" विकल्प का चयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी व्यक्तिगत पहचान का विवरण प्रकट किए बिना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एनसीआरपी ने 'रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट' नामक एक मॉड्यूल भी शुरू किया है, ताकि नागरिक संदिग्ध वेबसाइट यूआरएल, व्हाट्सएप नंबर/टेलीग्राम हैंडल, फोन नंबर, ई-मेल आईडी, एसएमएस हेडर/नंबर, डीपफेक तथा सोशल मीडिया यूआरएल की रिपोर्ट कर सकें।

सरकार ने 'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, कनिष्ठ साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण जैसी क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए 132.93 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं तथा साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि विषयों पर 24,600 से अधिक एलईए कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों एवं लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने देशभर में एनसीसी, एनएसएस एवं एनवाईकेएस के 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को साइबर हाइजीन का प्रशिक्षण प्रदान किया है।

आई4सी ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध की रोकथाम के संबंध में शिक्षित करने के उद्देश्य से 'किशोरों/विद्यार्थियों के लिए पुस्तिका' तथा महिलाओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 'महिला सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा पुस्तिका' जारी की है।

सरकार जनसामान्य के बीच सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने तथा साइबर हाइजीन एवं साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 'सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता (आईएसईए)' परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है।
